

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 फरवरी, 2019 ई0 फाल्गुन 09, 1940 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग--8

संख्या 194 /2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-01 देहरादून, 28 फरवरी, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से, अमित सिंह नेगी, सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 194/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-01, dated February 28, 2019 for general information:

No. 194/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-01 Dated Dehradun, February 28, 2019

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to rescind the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No. 522/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI, Secretary.